

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग।

प्रपत्र-5

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अधीन दुर्घटना के फलस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सीय सहायता हेतु आवेदन

(तीन प्रतियों में श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।*)

1. (क) दावेदार का नाम -
- (ख) उम्र -
- (ग) कार्य का स्थान -
- (घ) कार्य की प्रगति -
- (ङ) पता - ग्राम/मुहल्ला -
पंचायत/वार्ड - पो0 -
थाना- अंचल/प्रखण्ड
जिला -
2. दुर्घटना/अस्पतालीकरण का विवरण :-
 - (क) दुर्घटना की तिथि -
 - (ख) समय - पूर्वाह्न/अपराह्न
 - (ग) स्थान -
 - (घ) दुर्घटना का विस्तृत ब्योरा -
 - (ङ) जिस अस्पताल में भर्ती हैं/थे, उसका नाम तथा पूर्ण पता
 -
 - (च) अस्पताल में भर्ती की तिथि -
 - (छ) अस्पताल से छुट्टी की तिथि -
 - (ज) अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि -
3. उपचार करने वाले चिकित्सक/सर्जन का प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पता

..... दुर्घटना में घायल हुए थे एवं

(अस्पताल का नाम) में मेरे उपचार में भर्ती हुए थे। वे दिनों तक अस्पताल में मेरे उपचार में भर्ती रहे। उन्हें लगी चोट का विवरण निम्नानुसार है :

.....

.....

.....
4. दस्तावेज संलग्न : इस आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न है :-
 - (i) आवासीय प्रमाण पत्र,
 - (ii) अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण पत्र,

(iii) दुर्घटना के बारे में थाना को दी गई सूचना की प्रति या मुखिया/पंचायत का वार्ड सदस्य, शहरी क्षेत्र के मामले में वार्ड पार्षद द्वारा दुर्घटना के बारे में दिया गया प्रमाण पत्र यदि कानून के तहत थाना को सूचित करना आवश्यक नहीं है,

(iv) उम्र का प्रमाण पत्र,

(v) मुखिया/पंचायत के वार्ड सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य या शहरी क्षेत्र के मामले में संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत आवेदक के कार्य की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र।

(vi) एक स्व अभिप्रमाणित तस्वीर जो व्यक्ति के चोट एवं अस्पताल में भर्ती होने को दर्शाता हो।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है।

मैं घोषणा करता हूँ कि यदि कोई सूचना गलत पाया गया तो मेरा दावा अवैध समझा जाएगा।

साक्षी

1. नाम एवं पता

(क)

(ख)

दावेदार का हस्ताक्षर

*एक प्रति पावती के साथ आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

जिला पदाधिकारी का कार्यालय

दावा की जाँच की गयी एवं सही/गलत पाया गया दावा स्वीकृत किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि दावेदार को रू0 का भुगतान बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अधीन किए जाए/दावा को निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है:

.....
.....

श्रम अधीक्षक/
सहायक श्रमायुक्त
या
जिला पदाधिकारी द्वारा
प्राधिकृत पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

स्थान

तिथि

दावेदार श्री निवासी को
रू0 का तिथि को चक/डिमांड ड्रॉप्ट सं0 तिथि
जारी करने वाले बैंक का नाम द्वारा भुगतान किया गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर एवं मुहर